

- वर्ष 1987 में **वधिका सहायता कार्यक्रमों को वैधानिक आधार** प्रदान करने के लिये वधिका सेवा प्राधिकरण अधिनियम करयान्वति किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, **SC (अनुसूचित जाती)/ST (अनुसूचित जनजाति) तथा EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)** श्रेणियों, औद्योगिक श्रमकों, दवियांगजनों सहति पातर समहों को नशिलक व सकषम वधिका सेवाएँ परदान करना है।

■ NALSA:

- इस अधिनियम के तहत **वधिकि सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नगिरानी** व मूल्यांकन करने तथा वधिकि सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु नीतियों के निर्माण के लिये वर्ष 1995 में NALSA का गठन किया गया था।
- वधिकि सहायता तथा सहयोग प्रदान करने के लिये अधिनियम के तहत एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की परकिल्पना की गई।
- यह वधिकि सहायता योजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने के लिये **राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरणों** एवं गैर-सरकारी संगठनों को **नधिवि अनुदान** भी उपलब्ध कराता है।

■ राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरण:

- इसके बाद, हर राज्य में NALSA की नीतियों और निर्देशों को लागू करने, लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करने एवं लोक अदालतों का संचालन करने के लिये **राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरण (SLSA)** की स्थापना की गई।
- SLSA का नेतृत्व **संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** करते हैं और इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ HC न्यायाधीश शामिल होते हैं। जबकि HC मुख्य न्यायाधीश SLSA के संरक्षक-प्रमुख हैं, CJI, NALSA के संरक्षक-प्रमुख हैं।

■ ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण:

- इसी प्रकार, ज़िलों और अधिकांश तालुकों में **ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authorities-DLSA)** तथा तालुक कानूनी सेवा समितियों स्थापति की गई। प्रत्येक ज़िले में ज़िला न्यायालय परिसर में स्थिति, प्रत्येक DLSA की अध्यक्षता संबंधित ज़िले के ज़िला न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- तालुका या उप-वर्गीय कानूनी सेवा समितियों का नेतृत्व एक वरिष्ठ सविलि न्यायाधीश करता है। सामूहिक रूप से ये निकाय अन्य कार्यों के साथ-साथ **कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित** करते हैं, मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करते हैं और प्रामाणिक आदेश प्रतियाँ एवं अन्य कानूनी दस्तावेज़ों की आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

वे कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो भारत में कानूनी सेवाओं के प्रावधान को अनिवार्य बनाते हैं?

- भारतीय संविधान के कई प्रावधानों में कानूनी सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। **अनुच्छेद 39A** में कहा गया है, **राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य वकिलांगताओं के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए।**
- इसके अलावा, **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)** और **22(1)** (गरिफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार) भी राज्य के लिये वधिकि के समक्ष समानता तथा समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली वधिकि प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

Q1. राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजिये: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम वधिकि सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश भर में वधिकि कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)